



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1941 (श10)

(सं० पटना 992) पटना, सोमवार, 26 अगस्त 2019

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

अधिसूचना

27 जून 2019

सं० RE-01/19-41—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (यथा-अद्यतन संशोधित) के अध्याय-V की धारा-17 के अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शारीरिक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन, सम्बद्धता मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियमावली 2019, जिस पर शिक्षा विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-09/बि०वि०प०स०-09/2019-279 दिनांक 23.05.2019 द्वारा विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है, को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स सम्बद्धता विनियमावली, 2019

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एदत् द्वारा प्रशासी विभाग द्वारा संपुष्टीकरण के अधीन रखते हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शारीरिक शिक्षा से संबंधित) निम्नलिखित विनियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

(1) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शारीरिक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन, सम्बद्धता मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियमावली 2019 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :-

(i) अधिनियम से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952;

(ii) अध्यक्ष से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष;

(iii) सचिव से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव;

(iv) शैक्षणिक निदेशक से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षा समिति के शैक्षणिक निदेशक;

(v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं उसकी क्षेत्रीय समिति/समितियाँ;

(vi) समिति से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति;

- (vii) स्क्रीनिंग (प्रसंस्करण) समिति से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की समिति;
- (viii) राज्य से अभिप्रेत है, बिहार राज्य;
- (ix) राज्य सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (x) सरकारी शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा संचालित शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय;
- (xi) निजी/गैर-सरकारी शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से अभिप्रेत है, गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय;
- (xii) संस्था प्रधान से अभिप्रेत है संबंधित शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य;
- (xiii) संयुक्त संस्थान से अभिप्रेत है, विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है, जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डी.पी.एड. कोर्स के संचालन से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करते समय स्थिति अनुसार कला अथवा विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, मानविकी अथवा वाणिज्य अथवा अध्यापक शिक्षा अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हो।

3. प्रस्तावना I—यह विनियम संस्थानों द्वारा नये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डी.पी.एड. कोर्स प्रारम्भ करने हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार पटना से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त करने के उपरांत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदान करने तथा पूर्व से स्वीकृत प्रवेश क्षमता में वृद्धि संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के उपरांत उसकी सम्बद्धता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रदान करने संबंधी सभी विषयों पर लागू होगा; यथा :-

- (i) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) नया कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना;
- (ii) पूर्व से संचालित शारीरिक शिक्षण संस्थानों में शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) नया कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना;
- (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन की नयी मान्यता प्राप्त होने के उपरांत समिति से सम्बद्धता-संबंधी अनुमति प्राप्त करना;
- (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स में नामांकन हेतु अतिरिक्त प्रवेश क्षमता-संबंधी मान्यता प्राप्त होने के उपरांत अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की समिति से सम्बद्धता-संबंधी अनुमति प्राप्त करना;
- (v) वर्तमान शारीरिक शिक्षण संस्थान, जिसमें शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालित है, के द्वारा अपना नाम बदलने अथवा परिसर का स्थान परिवर्तित करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से सहमति प्राप्त होने के उपरांत समिति से सहमति प्राप्त करना।

4. पात्रता I—संस्थानों की निम्न श्रेणियाँ इस विनियमन के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु एवं सम्बद्धता-संबंधी अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगी; यथा:-

- (i) राज्य सरकार अथवा उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान/महाविद्यालय;
- (ii) राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान/महाविद्यालय;
- (iii) समूचित विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसाइटियों तथा न्यासों द्वारा बिहार राज्य में स्थापित तथा संचालित अथवा कम्पनी अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा बिहार राज्य में स्थापित एवं संचालित स्ववित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान/महाविद्यालय।

5. आवेदन पत्र I—तैयार करने की विधि और समय-सीमा :-

(क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन :

- (i) विनियम चार के अधीन पात्र ऐसे संस्थान/महाविद्यालय, जो शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स चलाने के इच्छुक हैं और इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता के लिए आवेदन करना है; प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) फीस और निर्धारित दस्तावेजों के साथ समिति को आवेदन कर सकते हैं।
- (ii) आवेदन में पूर्व से संचालित कार्यक्रम/कोर्स का विवरण एवं आवेदन के साथ संचालित कोर्स के मान्यता-संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित तथा भूमि एवं भवन से संबंधित प्रमाण-पत्र, जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूमि का स्वामित्व-संबंधी संस्था/महाविद्यालय की प्राप्त है, संलग्न किया जाएगा।
- (iii) ऐसी अलाभकारी सोसाइटी अथवा न्यास अथवा कम्पनी जो एक ही साथ संयुक्त संस्थान के रूप में नया कोर्स संचालित करना चाहती है, उन्हें दूसरे कोर्स के संबंध में साक्ष्य आवेदन के साथ देना होगा।
- (iv) आवेदन संस्था के प्रधान; यथा प्राचार्य, सोसाइटी/न्यास के अध्यक्ष/सचिव, कम्पनी के कार्यकारी प्रबंध निदेशक के द्वारा ही किया जाएगा।
- (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता हेतु आवेदन करने की निर्धारित समयावधि के अन्दर एवं

संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को मान्यता हेतु आवेदन करने के पूर्व समिति में संस्था द्वारा आवेदन किया जाएगा।

- (vi) निर्धारित समयावधि के पूर्व या बाद में किये गये आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए समिति दोषी नहीं होगी और प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) फीस की राशि जब्त कर ली जाएगी।
- (vii) निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदनों पर उनके गुण-दोष एवं राज्य में कोर्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा तथा आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर फलाफल की सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- (viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने अथवा अस्वीकार किये जाने की स्थिति में प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) फीस की राशि आवेदक को वापस नहीं की जाएगी।

(ख) सम्बद्धता हेतु आवेदन :-

- (i) वैसे संस्थान/महाविद्यालय जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन हेतु मान्यता प्राप्त हो गयी है, समिति से सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- (ii) प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण शुल्क) एवं सम्बद्धता शुल्क तथा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकेगा।
- (iii) अपेक्षित दस्तावेजों में निम्न दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र में निश्चित रूप से संलग्न किये जाएंगे :-
 - (a) निर्धारित कार्य दिवस अनुपालन प्रमाण-पत्र।
 - (b) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुपालन प्रमाण-पत्र।
 - (c) नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क अनुपालन प्रमाण-पत्र।
 - (d) पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम अनुपालन प्रमाण-पत्र।
 - (e) स्टाफ नियोजन, वेतन भुगतान एवं उपस्थिति प्रमाण-पत्र।
- (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के दस (10) दिनों के अन्दर संबंधित संस्थान द्वारा सभी दृष्टियों से विधिवत् रूप से भरा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (v) विधिवत् रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सारी प्रक्रिया पूरी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता-संबंधी सूचना संबंधित संस्थान को संसूचित कर दी जाएगी।

6. प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) :- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में निम्नवत् राशि ली जाएगी :-

- (i) अनापत्ति प्रमाण-पत्र :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र के साथ संस्थान द्वारा पाँच हजार / रुपये (5,000/- रुपये मात्र) का बैंक ड्रॉफ्ट सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदनाम से जमा किया जाएगा।
- (ii) सम्बद्धता शुल्क :- संस्थान द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र के साथ सम्बद्धता-संबंधी आवेदन के प्रोसेसिंग फीस के रूप में पंद्रह हजार रुपये (15,000/-रुपये) मात्रका बैंक ड्रॉफ्ट एवं सम्बद्धता शुल्क के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त मान्यता के अनुसार प्रति इकाई पैंतीस हजार रुपये (35,000/-रुपये) मात्र का बैंक ड्रॉफ्ट सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदनाम से जमा किया जाएगा।

7. आवेदन पत्र को प्रोसेस करना :-

- (क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र का आवेदन :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए संस्थान से प्राप्त आवेदन पत्रों को उनके गुण-दोष के आधार पर विवेचन करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शीघ्रता के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा तथा पंद्रह (15) दिनों के अन्दर फलाफल की सूचना संबंधित संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) सम्बद्धता से संबंधित आवेदन-पत्र :-

- (i) सम्बद्धता से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर समीक्षा कर ली जाएगी कि प्राप्त आवेदन सभी प्रकार से सही है एवं आगे की कार्यवाई हेतु योग्य है।
- (ii) त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को सुधारने का एक मौका संबंधित संस्थान को दिया जाएगा एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संस्थान को सूचित किये जाने की तिथि के पंद्रह (15) दिनों के अन्दर सुधरा हुआ आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जमा करने की जवाबदेही संस्थान की होगी।
- (iii) निर्धारित तिथि तक सुधरा हुआ आवेदन नहीं जमा करने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सुरक्षित होगा जो संस्थान को मान्य होगा। इस कोटि के प्राप्त आवेदन को प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) संबंधी समय की गणना सुधरा हुआ आवेदन प्राप्त होने की तिथि से की जाएगी।
- (iv) जिन संस्थानों का आवेदन-पत्र सभी दृष्टिकोण से सही पाया जाएगा उन संस्थानों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक चार-सदस्यीय टीम गठित कर उसकी स्थलीय जाँच कराएगी। इस गठित दल द्वारा

जाँच के क्रम में जाँच की पूरा विडियो रिकॉर्डिंग करायी जाएगी, जिसकी व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी साथ ही संस्थान द्वारा विडियो रिकॉर्डिंग की सी.डी. जाँच दल को उसी तिथि को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(v) **समिति द्वारा जिला स्तर पर एक जाँच समिति गठित की जाएगी, जो निम्नवत होगी :-**

(क)	संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	संयोजक
(ख)	समिति द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी	-	सदस्य
(ग)	निदेशक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना के द्वारा एक मनोनित एक क्षेत्रीय पदाधिकारी	-	सदस्य
(घ)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना द्वारा मनोनित एक शारीरिक शिक्षाविद् (Physical Education Faculty)	-	सदस्य

(vi) जाँच समिति के संयोजक एवं प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन एक हजार पाँच सौ रुपये (1,500/-) मानदेय के रूप में देय होगा; इसके अतिरिक्त समिति द्वारा नियमानुसार यात्रा-भत्ता देय होगा। समिति द्वारा इन्हें वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। जाँच समिति निश्चित रूप से पंद्रह (15) दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगी।

(vii) सभी दृष्टिकोण एवं सही रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति तिथि से तीस (30) दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संस्थान की जाँच आवश्यक रूप से कराते हुए जाँच प्रतिवेदन सी.डी. के साथ प्राप्त कर लिया जाएगा। (समय का अनुपालन करना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की होगी)।

(viii) प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में स्क्रीनिंग समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(ix) **स्क्रीनिंग समिति : सरकारी/गैर सरकारी संगठन द्वारा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन की सम्बद्धता देने तथा वापस लेने के लिए समिति में एक स्क्रीनिंग समिति निम्नवत होगी :-**

(क)	शैक्षणिक निदेशक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	-	अध्यक्ष
(ख)	परीक्षा नियंत्रक (विविध)	-	सदस्य
(ग)	निदेशक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा मनोनित एक विभागीय पदाधिकारी	-	सदस्य
(घ)	उप सचिव/सहायक सचिव (शिक्षक प्रशिक्षण), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	-	सदस्य सचिव

(x) स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया जाएगा।

(xi) वैसे संस्थान जिसके जाँच में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाएगी उन्हें त्रुटि सुधारने का एक मौका देते हुए त्रुटि के संबंध में सूचना दी जाएगी।

(xii) वैसे संस्थान जिन्हें सुधार का मौका दिये जाने के पश्चात् भी उनकी सम्बद्धता अस्वीकार कर दी जाती है, के द्वारा जमा किया गया प्रोसेसिंग शुल्क (प्रसंस्करण शुल्क) एवं सम्बद्धता शुल्क समिति द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

8. **सम्बद्धता प्रदान किये जाने की शर्तें** :- समिति द्वारा सभी दृष्टिकोण से सही पाये जाने के पश्चात् संबंधित संस्थान/महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन के लिए सम्बद्धता निम्न शर्तों के अधीन दी जाएगी :-

- संस्थान/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन, 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा;
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों/महाविद्यालयों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने के लिए सक्षम होगी;
- संस्थान/महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा;
- विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतनादि का भुगतान संस्था/महाविद्यालय उनके बैंक खाता के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी;
- नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक के पद त्याग करने अथवा हटाने जाने संबंधी सूचना तत्काल संस्थान/महाविद्यालय द्वारा समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के परामर्श पर नियमानुसार नियुक्ति शीघ्र की जाएगी;
- संस्थान/महाविद्यालय के संबंध में किसी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जाँच करायी जाएगी तथा जाँचोपरान्त आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी;
- (vii) प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान/महाविद्यालय द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन उनके निर्गत करने वाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है;
- (viii) सभी शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रबंध समिति का गठन नियमानुसार करने के पश्चात् सदस्यों की सूची समिति को तुरन्त उपलब्ध करायी जाएगी;
- (ix) संस्थान/महाविद्यालय के बैंक खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या तथा वरीयतम व्याख्याता/प्रोफेसर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा;
- (x) जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान/महाविद्यालय को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी संबद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा;
- (xi) संस्थान/महाविद्यालय को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान/महाविद्यालय चलाने के लिए अनिवार्य है, रखने होंगे;
- (xii) संस्थान/महाविद्यालय निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी संस्थान/महाविद्यालय द्वारा ऐसा नहीं करना संबद्धन के शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा;
- (xiii) किसी कारणवश वैसे संस्थान, जिन्हें NCTE से विनियमावली लागू होने के पूर्व से मान्यता प्राप्त होगी, के संबंध में आवश्यकतानुसार पूर्व की तिथि से संबद्धता प्रदान करने के संबंध में बोर्ड के स्तर से निर्णय लिया जाएगा।
9. शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त करने वाले शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदण्ड और मानक :-
- (i) अवधि I-शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी तथापि छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अन्दर कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी।
- (ii) कार्य दिवस I-
- (क) प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम-से-कम दौ सौ (200) दिन होंगे, जिसमें परीक्षा एवं प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी।
- (ख) संस्थान/महाविद्यालय सप्ताह (पाँच अथवा छः दिन) में कम-से-कम छत्तीस (36) घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्थान में सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप परामर्श और आवश्यकतानुसार अन्य क्रियाकलापों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके।
- (ग) विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम हेतु, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत और विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटरनशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी।
- (iii) दाखिला क्षमता I-बुनियादी इकाई 50 विद्यार्थियों की होगी। प्रारम्भ में दो बुनियादी इकाई की अनुमति है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा संस्था/महाविद्यालय को शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कोर्स संचालन हेतु दी गयी मान्यता आदेश में स्वीकृत बुनियादी इकाई से आच्छादित होगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित संस्थान/महाविद्यालय को अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने पर अधिकतम चार बुनियादी इकाई रखने की अनुमति दी जाएगी।
- (iv) पात्रता I-
- (क) उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2) अथवा समकक्ष परीक्षा (जिसकी मान्यता बिहार सरकार द्वारा दी गयी हो) में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र हैं।
- (ख) जो उम्मीदवार अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एस.जी.एफ.आई. खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, उनके अर्हक परीक्षा के अंकों की प्रतिशतता में पाँच (05) प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण हेतु स्थान आरक्षण और अर्हक परीक्षा के अंकों की प्रतिशतता में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी जो इसमें भी लागू होंगे।
- (v) प्रवेश प्रक्रिया I-प्रवेश प्रक्रिया में (खेल दक्षता परीक्षण, शारीरिक स्वस्थता परीक्षण और अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) अथवा किसी अन्य चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
- (vi) शुल्क I- संस्थान/महाविद्यालय केवल यह शुल्क वसूल करेगी, जो संबंधित सम्बद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर-सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्राप्त किये जा रहे ट्यूशन शुल्क एवं अन्य शुल्क के विनियमों के लिए मार्ग निर्देश) विनियम 2002 के उपबंधों के अनुसार विहित

किया गया होगा। संस्थान/महाविद्यालय विद्यार्थियों या उसके अभिभावक से दान, प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) आदि वसूल नहीं करेगा।

- (vii) **मूल्यांकन**—प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रम के लिए कम-से-कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अंक सतत आंतरिक आकलन के लिए और 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित टर्म के अंत में परीक्षा के लिए निश्चित किये जा सकते हैं तथा कुल अंको का एक-चौथाई विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यों का अभ्यास शिक्षण के कार्यों सहित, आवंटित किया जा सकता है। आंतरिक और बाह्य आकलन के लिए भारांश सम्बद्धन निकाय द्वारा निश्चित किया जाएगा। उम्मीदवारों का पूरे प्रायोगिकात्मक कार्य पाठ्यक्रम के संबंध में आंतरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और न कि केवल अध्ययन की उनकी इकाई भाग के रूप में उन्हें दिये गये प्रोजेक्ट/क्षेत्र कार्य के संबंध में। मूल्यांकन के लिए आधार और प्रयुक्त मापदण्ड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंको के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें अपना निष्पादन सुधारने का अवसर प्राप्त हो सके। आंतरिक मूल्यांकन के लिए आधार के अन्तर्गत अलग-अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकॉर्ड, डायरियाँ, प्रतिकात्मक पत्रिकाएँ आदि शामिल हो सकती है।

10. **शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक संरचना :-**

- (i) **शैक्षणिक संकाय**—(पचास विद्यार्थियों की एक बुनियादी इकाई अथवा एक सौ की मिली-जुली संख्या से कम अथवा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए) :-

(A) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष	—	एक
(B) प्राध्यापक	—	छः
(C) पुस्तकाध्यक्ष	—	एक
(D) फिजियोथेरापिस्ट	—	एक
(E) विशेषज्ञ अंशकालिक संकाय (खेल विशेषज्ञ)	—	चार (अंशकालिक)
(F) आहार-विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ	—	एक (अंश कालिक)
(G) आई. सी. टी. अनुदेशक	—	एक (अंश कालिक)

टिप्पणियाँ :-

- (A) अतिरिक्त नामांकन के लिए जो पचास विद्यार्थियों के गुणक में होगा, पूर्णकालिक संकाय की संख्या में छः (06) प्रति अतिरिक्त इकाई के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक अवसर पर एक बुनियादी इकाई के अतिरिक्त दाखिले पर विचार किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार पाठ्यक्रमों को भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों को पूरा किये जाने के अध्वधीन व्यापक और संयुक्त संस्थानों में संचालित किया जा सकता है।
- (B) संकाय सदस्यों की नियुक्ति को इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों/विषयों और शारीरिक शिक्षा से सम्बद्ध कार्यकलापों को शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित हो सके। संकाय का उपयोग शिथिलनीय ढँग से शिक्षण के लिए किया जाएगा जिससे कि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग हो सके।

(ii) **अर्हताएँ :-**

- (A) **प्राचार्य/विभागाध्यक्ष**—कम-से-कम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम.पी.एड. अथवा समकक्ष डिग्री तथा 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.पी.एड. उत्तीर्ण साथ ही शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में एक प्राध्यापक के रूप में कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभव।
- (B) **प्राध्यापक**—कम-से-कम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम.पी.एड. अथवा समकक्ष डिग्री तथा 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.पी.एड. उत्तीर्ण तथा विद्यालय स्तर पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में आठ (08) वर्ष का अनुभव।
- (C) **पुस्तकाध्यक्ष**—पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि।
- (D) **शारीरिक चिकित्सक (फिजियोथेरापिस्ट)**—खेल फिजियोथेरापी में विशेषज्ञता के साथ फिजियोथेरापी में स्नातकोत्तर डिग्री।
- (E) **विशेषज्ञ अंशकालीन संकाल (खेल विशेषज्ञ)**—न्यूनतम एक खेल में विशेषज्ञता, खेल में कोचिंग में डिप्लोमा के साथ शारीरिक शिक्षा में किसी एक खेल विशेषज्ञता/स्नातक डिग्री के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री।
- (F) **आहार विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ**—पोषाहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।
- (G) **आई.सी.टी. अनुदेशक**—सूचना प्रथाओं/सूचना विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री।
- टिप्पणी**—संयुक्त संस्थान के मामले में प्राचार्य और शैक्षणिक, प्रशासनिक और तकनीकी कर्मियों की सेवाओं में भागीदारी की जा सकती है।

(iii) तकनीकी सहयोगी और प्राशासनिक कर्मी :

(A)	ग्राउण्ड स्टाफ (ग्राउण्डों की मार्किंग करने और खेल मैदानों के अनुरक्षण की जानकारी के साथ)	—	एक
(B)	तकनीकी सहायक	—	एक (अंशकालीन)
(C)	कार्यालय सहायक (कम्प्यूटर और लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ काम करने के ज्ञान के साथ)	—	एक
(D)	स्टोर कीपर "भंडारपाल" (स्टोर हँडलिंग के जानकारी के साथ)	—	एक
(E)	हेल्पर/परिचर	—	दो

(iv) अर्हताएँ ।—उपर्युक्त सभी पदों के लिए राज्य सरकार में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता लागू होंगे।

(v) सेवा के निबंधन एवं शर्तें ।—शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मियों की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन की प्रक्रिया, वेतनमान, अधिवाषिकी की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं। राज्य सरकार/सम्बद्धन इकाई की नीति के अनुसार होंगे।

11. आधारभूत सुविधाएँ :-

(क) संस्थान के पास उचित फेन्सिंग के साथ न्यूनतम पाँच एकड़ यानी 500 डिसिमिल भूमि जिसमें संस्थागत इमारत के लिए तथा खेल-कूद आयोजित करने के लिए खुली जगह होनी चाहिए। संस्थान की भूमि पर न्यूनतम एक बुनियादी इकाई के संचालन हेतु 1,200 (एक हजार दो सौ) वर्गमीटर में वर्ग कक्ष एवं अन्य कक्ष निर्मित हों। डी.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नवत् होगी :-

(i)	केवल शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.)	—	1,200 वर्गमीटर।
(ii)	डी.पी.एड. तथा बी.पी.एड.	—	2,700 वर्गमीटर।
(iii)	डी.पी.एड. तथा बी.पी.एड. और एम.पी.एड.	—	3,900 वर्गमीटर।

टिप्पणी :-

- डी.पी.एड. की एक बुनियादी इकाई के अतिरिक्त भर्ती हेतु प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए 500 वर्गमीटर (पाँच सौ वर्गमीटर) अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।
- नामांकन के प्रति बुनियादी इकाई के लिए दो वर्ग कक्ष होनी चाहिए, इसके अलावे एक बहुप्रयोजन हॉल, एक बहुप्रयोजन प्रयोगशाला, सेमिनार कक्ष, प्राचार्य/विभागाध्याक्ष, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कक्ष, प्राशासनिक कर्मी के लिए कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय तथा भंडार कक्ष का प्रावधान निर्मित क्षेत्र में होना चाहिए। वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए प्रति विद्यार्थी 10 (दस) वर्गफीट से कम स्थान नहीं होना चाहिए। बहुप्रयोजन हॉल 2,000 वर्गफीट के साथ दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का होगा।
- न्यूनतम दो सौ मीटर ट्रैक के साथ बाह्य खेलों के लिए एक बहुप्रयोजन क्षेत्र और जिमनास्टिक व अंतरंग खेल-कूद के लिए एक हॉल होना चाहिए।
- भवन के सभी भागों में अग्नि संकट के विरुद्ध सुरक्षा के उपाय की व्यवस्था होनी चाहिए।
- संस्थागत परिसर, भवन, उपस्कर, शौचालय आदि निःशक्तों के लिए अनुकूल होना चाहिए।
- आवश्यक होने पर, छात्र तथा छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संकाय सदस्यों के लिए कुछ आवासीय क्वार्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ख) अनुदेशात्मक :-

(i) संस्था पुस्तकालय व संसाधन केंद्र स्थापित करेगी, जहाँ अध्यापकों और विद्यार्थियों की पहुँच अध्यापन-शिक्षाप्राप्ति की प्रक्रिया को सहायता देने और उसे और आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों तथा संसाधनों तक होगी, जिनमें न्यूनतम 2,000 (दो हजार) शीर्षकों एवं अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकों, शैक्षणिक विश्वकोष, वार्षिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सी.डी.-रोम) और न्यूनतम शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर पाँच पत्रिकाएँ होंगी। पुस्तकालय में फोटो प्रतियाँ तैयार करने की मशीन की सुविधा और संकाय तथा विद्यार्थियों के उपयोग हेतु इन्टरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) प्रयोगशाला :-

(क) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपस्कर ।—प्रोजेक्शन और दोहरापन के लिए हार्डवेयर और आई.सी.टी. साक्षरता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली, टी.बी., एल.सी.डी., प्रोजेक्टर प्रदर्शन बोर्ड (तीन) इन्टरनेट संयोजकता के साथ कम-से-कम दस मूवी कैमरा, संगीत प्रणाली, कम्प्यूटर प्रणाली-प्रिंटर के साथ (दो) फोटो कॉपी मशीन, जीओ/डी.वी.डी./आर.ओ.एम., विभिन्न खेलों/दक्षता शिक्षण के लिए बीस स्मार्ट बोर्ड।

(ख) शरीर रचना, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला उपस्कर 1-मानव कंकाल-आर्टिकुलेटिड-(एक), अ-आर्टिकुलेटिड-(दो), इलेक्ट्रॉनिक किट-(एक सेट), स्टेडियोमीटर -(एक), ग्रोथ चार्ट एवं बॉडी सिस्टम चार्ट-(दस), बांछनीय भार एवं ऊँचाई टेबुल-(दो), स्किनफोल्ड कैलिपर्स-(दो), मापन टेप (स्टील)-(एक), पीक फ्लो मीटर-(एक), ग्रीप डायनेमोमीटर-(दो), फ्लोक्सोमीटर (सिट एण्ड रीच ऐपरेटस)-(दो), बी.पी. ऐपरेटस (साइमोमैनोमीटर, स्टेथस्कोप और स्टॉप वॉच)-(दो)।

(iii) खेल और क्षेत्र उपकरण 1-खेल और क्षेत्र उपकरण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :-

(क) एथलेटिक्स 1-मापन टेप (स्टील) 15 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर तथा 100 मीटर का, ट्रैक की मार्किंग के लिए तार (पचास मीटर)-एक, स्टॉप वॉच-चार, स्टार्टिंग क्लैपर-एक, समाप्ति पर न्यायधिशों के लिए स्टेण्ड-दो, प्लेग पोल-छः, स्टार्टिंग ब्लॉक्स-छः, स्टाफ बोर्ड-दो, टेक ऑफ बोर्ड-दो, हर्डलस-बीस, हाई जम्प स्टेण्ड-एक जोड़ी, हाई जम्प क्रास बार्स-छः, पुरुषों और महिलाओं के लिए शॉटपुट -दो-दो, पुरुषों और महिलाओं के लिए डिस्कस - दो-दो, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए हैमर्स- दो-दो, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जलेवियन - छः-छः, जम्पिंग के लिए बाल्टिंग वॉक्स-दो, रिले बैटन-छः, मैट्रेस वजन प्रशिक्षण (मैट्स), हाई जम्प के लिए लैंडिंग।

(ख) खेल-कूद :

बैडमिंटन	- पोस्ट, नेट, रैकेट, शटल कॉक।
बास्केट बॉल	- स्टेण्ड और बोर्ड, नेट, बाल्स।
क्रिकेट	- बैटिंग पैड, बैटिंग ग्लोब्स, एवडोमिनलगार्ड, हेलमेट, विकेट कीपिंग ग्लोब्स, विकेट कीपर लैग गार्ड, स्टम्पस, वेल्स, बाल्स, टेनिस बॉल।
फुटबाल	- गोल पोस्ट नेट, बाल्स (सूक्ष्म आकार-4), प्लेग के साथ पोस्ट।
जिमनास्टिक	- वाल्टिंग टेबल/हार्स (पुरुष महिलाएँ), पैरललबार (पुरुष), हारिजेंटलबार (पुरुष), वैलेंस बीम (समायोजन-योग्य) जिमनास्टिक्स मैट्रेसिज।
हैंडबॉल	- गोल पोस्ट, नेट बॉल।
हॉकी	- गोल पोस्ट, नेट, बॉल, स्टिक्स, गोल कीपिंग, किट।
लॉन टेनिस	- लॉन टेनिस पोस्ट्स, टेनिस बॉल, रैकेट, नेट, एन्टेना।
टेबुल टेनिस	- टेबुल, रैकेट, टेबुल टेनिस बॉल।
भौली बॉल	- भौली बॉल पोस्ट्स, भौली बॉल, नेट, एन्टेना।
खो-खो	- खो-खो पोल।
वजनप्रशिक्षण	- वजन प्रशिक्षण रॉड्स, वजन प्लेट्स 2.5 किलोग्राम, 05 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, कोलर्स, बैंचेंज, भार स्टेण्ड, भार बेल्ट और भार जैकेट- एक, मल्टी जिम अथवा पृथक स्टेशनबार (कम-से-कम दस स्टेशन), जूडो/ताइक्वांडो/कुश्ती-मैट्स।

(ग) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपकरण 1-लेजियम्स, डम्बवेल्ल्स, फ्लैग्स, हूप्स, वेण्ड्स, ब्राल्स, अम्ब्रेला, रिकार्पिंग रोप, संगीत प्रणाली, संगीत-सी.डी./कैसेट, सामग्री; जैसे कि स्कार्फ ड्रिल-रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए; लड़ाकू कलाओं के लिए प्रदर्शन उपकरण/उपस्कर।

(iv) सांस्कृतिक कार्यकलाप 1-उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र जब भी विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराये जाने होंगे।

(v) विविध 1-बड़े खेलों, लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज, लड़ाकू खेलों और योग के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर/उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

12. सुविधाएँ :-

- शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपर्युक्त फर्नीचर।
- संस्थान पुरुष तथा महिला अध्यापक शिक्षकों/छात्र शिक्षकों के लिए पृथक सामान्य कक्षों (कॉमरूम) की व्यवस्था करेगा।
- संस्थान के कर्मियों एवं विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त शौचालय एवं मुत्रालय, (पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग) की व्यवस्था संस्थान द्वारा होनी चाहिए।
- संस्थान में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है।
- कैंम्पस की नियमित सफाई पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों की मरम्मत एवं उसके समय पर बदलने की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

टिप्पणी :-संयुक्त संस्थान के मामले में बहुप्रयोजन हॉल, खेल-मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाएँ (पुस्तकों एवं उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा अनुदेशात्मक स्थान से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जा सकती है।

13. प्रबंध समिति ।—संस्था राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रबंध समिति का गठन करेगी। नियमों के न होने पर संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/न्यास स्वमेव प्रबंध समिति गठित करेगी। समिति में सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/Art, Culture & Youth Department, Bihar, Patna का एक प्रतिनिधि तथा संस्थान के शैक्षणिक कर्मियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

14. परीक्षा शुल्क ।—समिति द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में राशि निम्नवत् प्राप्त की जाएगी :-

1. आवेदन प्रपत्र	—	250 /— रुपये
2. परीक्षा शुल्क	—	100 /— रुपये
3. विविध शुल्क	—	600 /— रुपये
4. प्राप्तांक शुल्क	—	350 /— रुपये
5. बिलंब शुल्क	—	175 /— रुपये
कुल	—	1,475 /— रुपये

ये शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित हैं एवं समय-समय पर यथा संशोधित रूप में लागू होंगे।

15. शैक्षणिक कैलेंडर ।—दो वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तथा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा। संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को समय बेहतर रूप से पूरा किया जा सके एवं समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो इस हेतु समिति द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से आकादमिक कैलेंडर भी जारी किया जा सकेगा जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

16. सम्बद्धता की वापसी :-

(क) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विशिष्ट विषय अथवा सभी विषयों में सम्बद्धता की वापसी की जा सकेगी प्रारम्भिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) की शिक्षा देने वाली संस्था/महाविद्यालय असम्बद्ध की जा सकेगी, यदि समिति का समाधान हो जाय ऐसी संस्थाएँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सम्बद्धता जारी रखने के योग्य नहीं हैं।

(ख) सम्बद्धता की कार्रवाई संस्थान/महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में समिति द्वारा आरम्भ की जा सकेगी :-

- इन उपविधियों में उपबंधित के सिवाय प्रयोजनों के लिए निधि के आपवर्तन सहित वित्तीय अनियमितता।
- विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध देशद्रोह अथवा परायापन की भावना को मन में बैठाने अथवा उसे बढ़ावा देने सहित राज्य के हित के प्रतिकूल क्रियाकलापों में व्यस्त रहना।
- समाज के विभिन्न धाराओं के बीच असामंजस्य/घृणा को बढ़ावा देना या रहने देना।
- सम्यक नोटिस के बाद भी संबंधित कमियों को दूर करने से अधिकाधिक शर्तों का नहीं पूरा किया जाना।
- चेतावनी प्राप्त होने के बाद भी सम्बद्धता के नियमों एवं शर्तों का ध्यान नहीं रखना।
- प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रबंधन की अंदरूनी दुश्मनी से उत्पन्न विवाद के चलते संस्थान/महाविद्यालय के सुगम कार्यशैली में बाधा उत्पन्न होना।
- लगातार तीन वर्षों तक निम्नस्तरीय कार्यकलाप, सामान्य उत्तीर्णता प्रतिशत के न्यूनतम 50 प्रतिशत उत्तीर्णता बनाए रखने में संस्थान/महाविद्यालय का शैक्षणिक कार्यकलाप अपर्याप्त होना।
- किसी विशिष्ट विषय के शिक्षण के लिए समुचित उपकरण/स्थान/स्टाफ की अनुपलब्धता।
- नामांकन/परीक्षा/किसी अन्य क्षेत्र जो समिति की राय में, संस्थान/महाविद्यालय की तुरंत असम्बद्धता के लिए न्यायसंगत हो, से संबंधित कोई अन्य कदाचार।
- एक समिति/प्रबंधन/न्यास/सोसाइटी द्वारा अन्य समिति/प्रबंधन/सोसाइटी/न्यास एकरारनामा/विक्रय बिलेख के माध्यम से संस्थान/महाविद्यालय की सम्पत्ति के विक्रय/अन्तरण की दशा में।
- रिट याचिका (अपराधिक) संख्या - 666-70/1992 विशाका एवं अन्य बनाम् राजस्थान राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित आदेश द्वारा विहित नियमों का उल्लंघन स्थापित होने पर कार्रवाई की जा सकेगी।

(ग) समिति/संस्थान/महाविद्यालय प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस अधिकतम एक वर्ष के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए समय और अवसर दे सकती है, जिसमें असफल रहने पर समिति संस्था/महाविद्यालय को असम्बद्ध घोषित कर सकेगा। समिति द्वारा इस तरह का निर्णय अंतिम तथा संस्थान/महाविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा। कारण बताओ नोटिस की अधिकतम अवधि एक माह से अधिक नहीं हो सकेगी।

(घ) सम्बद्धता के लिए केवल आवेदन-पत्र देने अथवा समिति के पास उसे लंबित रहने से किसी संस्थान/महाविद्यालय को "समिति से सम्बद्ध होना" लिखने का न तो वह हकदार होगा और न किसी रीति से कुछ भी करने का सहारा लेगा जिससे लोगों के मन में इसके संबंध में कोई गलत छवि बने।

- (ड) यदि कोई संस्थान/महाविद्यालय को शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स संचालन के लिए सम्बद्ध होने हेतु विहित नियमों और/या समिति के नियमों को बनाये रखने में असफल रहे अथवा संस्थान/महाविद्यालय के कार्यकलाप में गिरावट आये तो समिति उन कमियों को दूरकर अधिकतम एक वर्ष के भीतर सम्बद्धता कायम रखने हेतु निर्धारित स्तर तक आने के लिए आदेश देगा। यदि संस्थान/महाविद्यालय अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होते हैं तो सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय की हैसियत वे खो सकेंगे और यहाँ तक कि यदि समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय तो असम्बद्ध कर दिये जा सकेंगे।
- (घ) किसी संस्थान/महाविद्यालय को असम्बद्ध कर दिये जाने पर यदि सम्बद्धता पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन असम्बद्ध होने की तिथि से पाँच साल के भीतर प्रस्तुत करता है तो स्क्रीनिंग समिति बिना कोई सम्बद्धता शुल्क लिए उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी, परन्तु उपविधि के उपबन्धों के पुर्नवहेलना पर उस संस्था/महाविद्यालय की सम्बद्धता स्थाई रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

17. **महाविद्यालय का अंतरण/विक्रय**।—संस्थान/महाविद्यालय को अथवा संस्था/महाविद्यालय के किसी सम्पत्ति का एक सोसाइटी/प्रबंधन/न्यास से अन्य सोसाइटी/प्रबंधन/न्यास को विक्रय, विलेख, एकरारनामा के माध्यम से अंतरण/विक्रय की स्वीकृति समिति नहीं देगी, यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप से हुआ तो समिति तुरन्त प्रभाव से संस्थान/महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस ले लगी।

18. **कठिनाइयों का निराकरण**।—इस विनियमन को लागू होने से यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो उसे दूर करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षम होगी एवं इस हेतु आवश्यकतानुसार अलग से नियम, विनियम, निदेश एवं पत्र, जारी कर सकेगी जो इस विनियम के अन्तर्गत माने जाएँगे और जिसका अनुपालन संस्थाओं/महाविद्यालयों के लिए आवश्यक होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।—इस विनियम के लागू होने की तिथि से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से पूर्व में निर्गत पत्रों, परिपत्रों, नियम एवं विनियमों का निरसन किया जाता है। ऐसे निरसन के बावजूद एदत द्वारा जिन पत्रों, परिपत्रों, नियम एवं विनियम का निरसन किया गया है उनके अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई जो इस विनियम के परस्पर विरोधी नहीं है, इस विनियम के तदनुरूपी प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी कार्रवाई मानी जाएगी।

ऐसे संस्थान/महाविद्यालय जिन्हें इस विनियम के पूर्व में है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है, उनके द्वारा भी इस विनियम के निदेशों का अनुपालन किया जाएगा और यदि उनके द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क नहीं जमा किया गया है तो उन्हें विनियम के निर्गत होने के पंद्रह दिनों के अन्दर निर्धारित सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी सम्बद्धता निरस्त की जाएगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आदेश से,

अनुप कुमार सिन्हा,
सचिव ।